

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर
आदेश
एकलपीठ दाण्डिक रिट याचिका नम्बर 23/2014

16.02.2018

माननीय न्यायाधिपति बनवारी लाल शर्मा

श्री सुधीर कुमार तिवाडी, अधिवक्ता याची
श्री राहुल शर्मा, अधिवक्ता वास्ते
श्री रजनीश गुप्ता, अधिवक्ता अयाची
श्री जितेन्द्र श्रीमाली, लोक अभियोजक

अयाची की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रकरण में बहस हेतु समय चाहा।

याची के विद्वान को स्थगन देने में कोई आपत्ति नहीं है।

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन पर प्रकरण दिनांक 08.03.2018 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जावे।

(बनवारी लाल शर्मा)
न्यायाधिपति

बीएलजैन/ 75